क्रम संख्या–111 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 ई0

पौष 02, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 360 / XXXVI (3) / 2022 / 68(1) / 2022

देहरादून, 23 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 16, वर्ष– 2022 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2022 हैं।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 6 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 की धारा 6 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी ; अर्थात:–

(4) जिले की समिति की बैठकों में सम्बन्धित जिले के क्षेत्र पंचायत प्रमुख, स्थायी आमंत्रित होगें।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करने और संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना तैयार करने तथा उससे संबंधित या आनुषांगिक विषयों हेतु उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा यह अनुभव किया जाता रहा है कि सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की जिला योजना समिति में नियमित रूप से प्रतिभागिता विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की उस जिले में जिला योजना समिति में नियमित प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 की धारा 6 में संशोधन अपरिहार्य है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति करता है।

सतपाल महाराज
मंत्री